

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर

(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक :- F1(79)DME/Raj-MES/2017/122

दिनांक 15-01-2018

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या प.1(79)DME/Raj-MES/2017/119 दिनांक 12.01.2018 के द्वारा माह अक्टूबर-नवम्बर, 2017 में की गई फैकल्टी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ती के आदेश प्रसारित किये गये हैं। इस आदेश में अंकित नियुक्ति की शर्तों में क्र.सं. 14 पर निम्न शर्त पढ़ी जावें :-

शर्त सं. 14 : माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में दायर सिविल रिट पिटीशन सं. 19338/2017 में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2017 के परिपेक्ष्य में वरिष्ठ प्रदर्शक (बायोकेमिस्ट्री) एवं सिविल रिट पिटीशन संख्या 19771/2017 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 के परिपेक्ष्य में वरिष्ठ प्रदर्शक (फार्माकोलोजी) पद की नियुक्ती उक्त रिटों के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक :- F1(79)DME/Raj-MES/2017/122

दिनांक 15-01-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर।
4. सदस्य राजमेस, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक/ई-मेल से।
7. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक

राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर